कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

इन्दिरा गांधी नहर भवन मण्डल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, ज्योति नगर मोड़,
जयपुर–302005

क्रमांक : एफ.2(7)कनि.अभि.(नियुक्ति)/स्था–II/मुअजसं/2021/3546 दिनांक : 01.10.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती–2020 में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से जल संसाधन विभाग को अभिस्तावित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 के नियम 20 व 26 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 23,700/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मेट्रिक्स लेवल–10 पर अधोलिखित शर्तों पर उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्त/पदस्थापन किया जाता है।

कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक (डिप्लोमा) – अनुसूचित क्षेत्र

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	चयन वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	4	शाहिद अली	रियासत अली	04.04.1994	सामान्य	सामान्य	पुरूष	जल संसाधन जाखम परियोजना यांत्रिक उपखण्ड द्वितीय अनूपपुरा
2	17	निखिल कुमार दवे	कृष्ण कुमार दवे	22.01.1990	सामान्य	सामान्य	पुरूष	जल संसाधन जाखम परियोजना यांत्रिक उपखण्ड द्वितीय अनूपपुरा
3.	45	अभिषेक चारण	आनन्द सिंह चारण	22.12.1997	अपिव	सामान्य	पुरूष	सोम कमला अम्बा यांत्रिक उपखण्ड आसपुर
4.	57	राहुल कुमार मीणा	विनोद कुमार मीणा	20.07.1999	अ.ज.जा.	सामान्य	पुरूष	सोम कमला अम्बा यांत्रिक उपखण्ड आसपुर
5.	101	कालुराम कटारा	सुखराम कटारा	07.09.1996	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	पुरूष	यांत्रिक उपखण्ड प्रथम, बांध खण्ड प्रथम, माही परियोजना, बांसवाड़ा
6.	133	लक्ष्मण लाल मावी	दीपा मावी	17.08.1986	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	पुरूष	यांत्रिक उपखण्ड प्रथम, बांध खण्ड प्रथम, माही परियोजना, बांसवाड़ा
7.	154	दीपक बुझ	धुलजी बुझ	30.06.1999	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	पुरूष	यांत्रिक उपखण्ड प्रथम, बांध खण्ड प्रथम, माही परियोजना, बांसवाड़ा

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से **15 दिवस** के भीतर पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण एवं तथ्यों के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को उपस्थिति प्रस्तुत करने की विलंबित अवधि से सूचित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें। निर्धारित अवधि

में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी–एससी–ओबीसी/एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
4. परीवीक्षाकाल (Probation Period) में वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षाकाल में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–10 में किया जावेगा एवं नियमानुसार उस पर भत्ते देय होगें।
7. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों अनुसार देय होगें।
8. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में दायर याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
10. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होने एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन रहेगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र नियुक्ति पर लागू होगें। उपरोक्त अभ्यर्थियों की सेवाएं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014 के अध्यधीन रहेगी।
13. पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति अधिकारी चयनित अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनका चयन निरस्त कर सकेगा।

14. विभाग में अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se-Seniority) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रेषित सूची की वरीयता क्रम के अनुसार रहेगी। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगा।
17. अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ–साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र व पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
18. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
19. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(असीम मार्कण्डेय),
मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.2(7)कनि.अभि.(नियुक्ति)/स्था-II/मुअजसं/2021/3547-3556 दिनांक : 01.10.2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.14(81)(1)RSSSB/अर्थना/कनि.अभि./पात्रता जांच/2021/977 दिनांक 03.09.2021 एवं 1013 दिनांक 08.09.2021 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
6. उपनिदेशक (आई.टी.), जेएलएन मार्ग, सिंचाई भवन, जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. अधिशाषी अभियन्ता...
8. सहायक अभियन्ता ....
9. संबंधित अभ्यर्थी ....
10. रक्षा पत्रावली।

(संजय भाटिया)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,
राजस्थान, जयपुर